निबंधन सं० पी० टी०—40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

28 पौष 1927 (श०)

(सं० पटना 41) पटना, बुधवार, 18 जनवरी 2006

राजस्व पर्षद्, बिहार

अधिसूचनाएं

10 जनवरी 2006

सं० 43—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II, 1915) की धारा-90 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद, बिहार समय-समय पर यथासंशोधित "बिहार देशी शराब बोटलिंग नियमावली, 2004" में निम्न संशोधन करता है:—

संशोधन

1. उपर्युक्त नियमावली के नियम—17 के उप-नियम-(2) के पश्चात निम्न उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"17(3)—देशी शराब की बोतलों पर आयुक्त उत्पाद के माध्यम से प्राधिकृत मुद्रक को मूल्य भुगतान के आधार पर निर्माता को आपूरित विशिष्ट होलोग्राफिक स्टिकर चिपकाना होगा।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०-3/टेक-1002/2005)]

राजस्व पर्षद्, बिहारके आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार ।

10 जनवरी 2006

सं०—43, 10 जनवरी 2006 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०-3/टेक-1002/2005)]

राजस्व पर्षद्, बिहार के आदेश से,

(ह०) अस्पष्ट,

सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार ।

The 10th Januaruy 2006

No.43—In exercise of the powers conferred by Section-90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Act-II, 1915), the Board of Revenue, makes the following amendments in the Bihar Country Liquor Bottling Rules, 2004, as amended from time to time.

AMENDMENT

1. After sub-rule (2) of rule 17, the following sub-rule shall be inserted:—

"17 (3) The bottles containing Country Liquor shall bear the specified holographic stickers, pasted on them, and supplied on payment of cost by the manufacturer to the authorised printers(s) through the Excise Commissioner."

2. This notification will come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[(no. 3/Tech-1002/2005)]
By order of the Board of Revenue, Bihar
Sd/-Illegible,
Secretary,Board of Revenue, Bihar.

---

10 जनवरी, 2006

संख्या—42—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915(बिहार अधिनियम-II, 1915)की धारा-90 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद्, बिहार अधिसूचना संख्या-23-137-2, दिनांक 29 अप्रील, 1919 द्वारा गठित एवं समय-समय पर संशोधित नियमावली में निम्न संशोधन करता है:—

संशोधन

1. उपर्युक्त नियमावली के विद्यमान नियम-43 ए(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"43 ए (1) बिहार राज्य में बिकने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा या बीयर की बोतलें चाहे वे राज्य में निर्मित हों अथवा राज्य के बाहर से आयातित हों, कॉर्क/धातु के पिल्फर प्रूफ ढक्कन अथवा कैपसूल (ग्वाला कैप को छोड़ कर) से बंद रहेगा, जिस पर "बिहार उत्पाद" उत्कीर्ण रहेगा और आयुक्त उत्पाद द्वारा अनुमोदित लेबुल लगा रहेगा, जिस पर प्रत्येक बोटलिंग समव्यवहार का बैच नंबर, निर्माता का नाम एवं ब्रांड उल्लिखित रहेगा। इसके अतिरिक्त आयुक्त उत्पाद के माध्यम से प्राधिकृत मुद्रक को मूल्य भुगतान के आधार पर आपूर्तिकर्त्ता को आपूरित विशिष्ट होलोग्राफिक स्टिकर बोतलों पर चिपकाना होगा।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

[(सं०-3/टेक-1002/2005)]
राजस्व पर्षद्, बिहार के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
सचिव, राजस्व पर्षद. बिहार।

10 जनवरी 2006

संख्या-42, दिनांक 10 जनवरी 2006. का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राजस्व पर्षद्, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं०-3/टेक-1002/2005)
राजस्व पर्षद्, बिहार के आदेश से,
(ह०)–अस्पष्ट,
सचिव, राजस्व पर्षद्. बिहार।

The 10th January, 2006

N0.42—In exercise of the powers conferred by Section-90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Act II of 1915), The Board of Revenue makes the following amendments in the Rules,. framed under Notification No. 23-137-2, dated the 29th of April, 1919, as amended from time to time:—

AMENDMENT

1. The existing rule 43A (I) shall be substituted as follows:—

"43A(1) the bottles containing India made foreign liquor or beer, meant for sale in Bihar, either manufactured in the State or imported from outside the State, shall be corcked/capsuled with pilfer-proof metal enclosure or capsule (excepting Guala-cap) with "Bihar Excise" embossed upon them, and bearing the label as approved by the Excise Commissioner, containing the batch number of each bottling operation, besides the name of the manufacturer and the brand. In addition, the bottles will display the specified holographic sticker, pasted on them and suplied on payment of cost by the manufacturer to the authorised printer(s) through the Excise Commissioner".

2. This notification will come into effect from the date of its publication in the official gazette.

[(File no. 3/Tech-1002/2005)]
By order of the Board of Revenue, Bihar
Sd/-Illegible,
Secretary,Board of Revenue, Bihar.

---

10 जनवरी 2006

संख्या-41—बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 (बिहार अधिनियम-II, 1915) की धारा-90 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व पर्षद् , बिहार समय-समय पर यथासंशोधित बिहार मसालेदार देशी शराब (विनिर्माण एवं बिक्री) नियमावली, 1976" में निम्न संशोधन करता है:—

संशोधन

1. उपर्युक्त नियमावली के नियम–7 के उप-नियम (X) को (X)(1) के रूप में पुनर्सख्यांकित करते हुए तदुपरांत निम्न उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाता है:—

"(X) (2)—मसालेदार देशी शराब की बोतलों पर आयुक्त उत्पाद के माध्यम से प्राधिकृत मुद्रक को मूल्य भुगतान के आधार पर निर्माता को आपूरित विशिष्ट होलोग्राफिक स्टिकर चिपकाना होगा।"

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

[(सं०-3/टेक-1002/2005)]
राजस्व पर्षद्, बिहार के आदेश से,
(ह०)-अस्पष्ट,
सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार।

10 जनवरी 2006

सं०—41, दिनंक 10 जनवरी 2006 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राजस्व पर्षद, बिहार के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०-3/टेक-1002/2005)]

राजस्व पर्षद्, बिहार के आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
सचिव, राजस्व पर्षद्, बिहार ।

The 10th January 2006

No.41—In exercise of the powers conferred by Section-90 of the Bihar Excise Act, 1915 (Act II of 1915), the Board of Revenue makes the following amendments in the Bihar Spiced Country Spirit (Manufacture and Sale) Rules, 1976, as amended from time to time.

AMENDMENT

1.Clause (x) of rule 7 shall be renumbered as clause (x) (1), and the following sub-clause shall be inserted therafter:—

"(x) (2) The bottles containing Spiced Country Liquor shall bear the specified holographic stickers, pasted on them, and supplied on payment of cost by the manufacturer to the authorised printer (s) through the Excise Commissioner".

2. This notification will come into effect from the date of its publication in the Official gazette.

[No. 3/Tech-1002/2005]

By order of the Board of Revenue, Bihar
Sd/-Illegible,
Secretary,Board of Revenue, Bihar.

अधीक्षक, राजकीय लेखन सामग्री भंडार एवं प्रकाशन, पटना द्वारा प्रकाशित
तथा अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण), 41—571+500—डी०टी०पी०